**चीनी मिलों की स्थापना हेतु लाइसेंस**

507. **श्री कृष्ण लाल शर्मा :** क्या **खाद्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 12 अक्तूबर, 1994 के "स्टेट्समैन" में प्रकाशित इस आशय के एक समाचार की ओर दिलाया गया है कि सरकार ने देश में चीनी मिलों की स्थापना हेतु 85 लाइसेंस जारी किए हैं ;

(ख) यदि हां, तो जारी किए गए लाइसेंसों का राज्य-वार अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या उक्त समाचार के अनुसार, चीनी लाइसेंसों को जारी किया जाना उसके लिए बनाये गये नियमों और दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उनका उल्लंघन किये जाने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा 30-9-94 को नई चीनी फैक्ट्रियों की स्थापना के लिए 74 आशय-पत्र जारी कर दिए गए हैं। राज्य-वार ब्यौरा निम्नानुसार है :—

| क्रम सं० | राज्य | जारी किए गए आशय-पत्रों की संख्या |
|---|---|---|
| 1. | हरियाणा | 4 |
| 2. | उत्तर प्रदेश | 25 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 2 |
| 4. | गुजरात | 2 |
| 5. | महाराष्ट्र | 17 |
| 6. | बिहार | 1 |
| 7. | उड़ीसा | 1 |
| 8. | आन्ध्र प्रदेश | 15 |
| 9. | कर्नाटक | 5 |
| 10. | तमिलनाडु | 2 |
| | कुल | 74 |

(ग) और (घ) ये सभी आशय-पत्र भारत सरकार द्वारा दिनांक 8-11-91 के प्रैस नोट सं० 16(1991 श्रृंखला) के माध्यम से घोषित लाइसेंसिंग नीति संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार जारी किए गए थे ।

**राज्यों को आपूर्ति की गयी चीनी और चावल की मात्रा**

508. **श्री कैलाश नारायण सारंग :** क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1994 से नवम्बर, 1994 तक राज्य-वार कितनी-कितनी मात्रा में चीनी और चावल की आपूर्ति की गई और इसका माह-वार ब्यौरा क्या है ;

(ख) कुछ राज्यों को पिछले महीनों की तुलना में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर के महीने में चीनी और चावल का अधिक कोटा सप्लाई करने के क्या कारण हैं; और

(ग) उन राज्यों के उपभोक्ताओं की, जिनमें चीनी और अन्य वस्तुओं का कोटा कम मिला है, और वह भी काफी देर से मिला है, प्रतिपूर्ति करने के लिए क्या प्रावधान किया गया है ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) :** (क) और (ख) आंशिक नियंत्रण की मौजूदा नीति के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लेवी चीनी का मासिक आवंटन एकरूप मानदण्डों के आधार पर किया जा रहा है, जिससे कि 1-10-96 को प्रक्षिप्त जनसंख्या के लिए 425 ग्राम प्रति व्यक्ति मासिक उपलब्धता सुनिश्चित होती है । ये मानदण्ड 1-2-1987 से प्रभावी हैं। तथापि, कुछ संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को वहां की विशेष परिस्थितियों के कारण अधिक पैमाने पर लेवी चीनी के आवंटन की अनुमति दी जा रही है । इसके अतिरिक्त विभिन्न त्यौहारों के लिए चीनी की अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार प्रतिवर्ष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को त्यौहार कोटे

के रूप में लगभग 1 लाख टन लेवी चीनी भी आबंटित करती है। वर्तमान में लेवी चीनी का कुल मासिक आबंटन 3.35 लाख टन है। अगस्त, 1991 से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लेवी चीनी के मासिक कोटे में सरकार द्वारा अनुमत 5 प्रतिशत की तदर्थ आधार पर हुई बढ़ोतरी को पिछले दो मौसमों अर्थात् 1992–93 और 1993–94 में चीनी उत्पादन में आई कमी के कारण अप्रैल, 1994 से लेवी चीनी के आबंटन से वापस ले लिया गया है।

उपरोक्त के आधार पर लेवी चीनी का मासिक कोटा और वार्षिक त्यौहार कोटे का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। (नीचे देखिए)।

चावल

जनवरी, 1994 से नवम्बर, 1994 तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को आबंटित चावल की मात्रा का विवरण अनुपत्र में दिया गया है। (देखिए परिशिष्ट 172, अनुपत्र संख्या–9)।

जहां तक चावल का संबंध है अगस्त की तुलना में सितम्बर, अक्तूबर और नवम्बर, 1994 में राज्यों को चावल के मासिक कोटे में बढ़ोतरी के कारण विवरण–II में दर्शाए गए हैं (नीचे देखिए)।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण–I

लेवी चीनी कोटा, अतिरिक्त 5 प्रतिशत तदर्थ बढ़ोतरी तथा त्यौहार कोटा का ब्यौरा

(आंकड़े टन में)

| क्र. सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | मासिक सामान्य कोटा | 5 प्रतिशत मासिक की तदर्थ बढ़ोतरी (अगस्त, 91 से मार्च, 94 तक स्वीकृत) | प्रत्येक वर्ष हेतु त्यौहार कोटा |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | आंध्र प्रदेश | 25281 | 1264 | 7614 |
| 2 | अंडमान निकोबार | 247 | 12 | 74 |
| 3 | अरुणाचल प्रदेश | 314 | 16 | 94 |
| 4 | असम | 9617 | 481 | 2896 |
| 5 | बिहार | 33459 | 1673 | 10078 |
| 6 | चंडीगढ़ | 372 | 19 | 112 |
| 7 | दादर और नगर हवेली | 51 | 3 | 14 |
| 8 | दिल्ली | 8721*+1200**9921 | 436 | 2316 |
| 9 | गोवा | 500 | 25 | 150 |
| 10 | दमन | 24 | 1 | 12 |
| 11 | दीव | 15 | 1 | |
| 12 | गुजरात | 16194 | 810 | 4878 |
| 13 | हरियाणा | 6386 | 319 | 1924 |
| 14 | हिमाचल प्रदेश | 2019 | 101 | 608 |
| 15 | जम्मू व काश्मीर | 2884+252@3136 | 144 | 868 |
| 16 | कर्नाटक | 17769 | 888 | 5350 |
| 17 | केरल | 11953 | 598 | 3600 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 18 | लक्षद्वीप | 71 | 4 | 22 |
| 19 | मध्य प्रदेश | 25031 | 1525 | 7536 |
| 20 | महाराष्ट्र | 29938 | 1497 | 9014 |
| 21 | मणिपुर | 694 | 35 | 208 |
| 22 | मेघालय | 662 | 33 | 200 |
| 23 | मिजोरम | 261 | 13 | 78 |
| 24 | नागालैंड | 426 | 21 | 128 |
| 25 | उड़ीसा | 12393 | 620 | 3730 |
| 26 | पांडिचेरी | 305* | 15.2 | 64 |
| 27 | कारीकाल | 73 | 3.7 | 18 |
| 28 | माहे | 15 | 0.7 | 4 |
| 29 | यनम | 7 | 0.4 | 2 |
| 30 | पंजाब | 7945 | 397 | 2392 |
| 31 | राजस्थान | 16914 | 846 | 5092 |
| 32 | सिक्किम | 165 | 8 | 50 |
| 33 | तमिलनाडु | 22547 | 1127 | 6790 |
| 34 | त्रिपुरा | 1001 | 50 | 302 |
| 35 | उत्तर प्रदेश | 52926 | 2646 | 15936 |
| 36 | पश्चिम बंगाल | 25888 | 1294 | 7796 |
| | जोड़ : | 334520 | 16654 | 999550 |

*मई, 1990 तथा उसके बाद दिल्ली में 1032 टन तथा पांडिचेरी में 108 टन के कोटे में बढ़ोत्तरी शामिल है ।

**जुलाई, 1993 से 1200 टन बढ़ोत्तरी शामिल है ।

@फरवरी, 1994 से 252 टन बढ़ोत्तरी शामिल है ।

**विवरण–II**

| क्रम सं० | राज्य का नाम | आबंटित चावल का कोटा (हजार टन में) | | | | सितम्बर, 94 से मासिक आबंटन में बढ़ोत्तरी के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | अगस्त, 94 | सितम्बर, 94 | अक्तूबर, 94 | नवंबर, 94 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | अरुणाचल प्रदेश | 5.40 | 5.40 | 8.60 | 8.60 | अरुणाचल प्रदेश को आबंटि 16.000 मी० टन चावल समायोजन के बाद मई से सितम्ब 94 तक 3,200 टन प्रति मा के दर से बफर स्टॉकिंग के लि अक्तूबर, 94 से 8,600 मी टन प्रति मास के सामान्य दर प कोटे को पुन: स्थापित कर दिय गया । |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | गोवा | 4.50 | 9.00 | 4.50 | 9.00 | गणेश चतुर्थी हेतु सितम्बर, 94 के लिए गोवा को 4,500 मी० टन अतिरिक्त चावल का कोटा जारी किया गया और फिर नवम्बर, 94 के लिए सेन्ट फ्रांसिस जेवियर के पवित्र परावशेषों के प्रदर्शन के लिए गोवा को 4,500 टन का अतिरिक्त चावल का कोटा जारी किया गया था । |
| 3. | मिजोरम | 5.35 | 5.35 | 7.60 | 7.60 | मिजोरम के मासिक चावल कोटे को जून से सितंबर, 94 तक 2250 मी० टन की चार किस्तों में राज्य को मंजूर किए 9,000 मी० टन बफर/स्टॉकिंग कोटे के समायोजन के बाद अक्तूबर, 94 में कोटे को 7,600 मी० टन प्रति मास सामान्य दर पर पुन: स्थापित कर दिया गया । |
| 4. | सिक्किम | 4.50 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | सिक्किम सरकार के अनुरोध पर सितम्बर से दिसम्बर, 94 तक 300 मी० टन अतिरिक्त तदर्थ चावल कोटे को मंजूर किया गया । |

**खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार का निर्यात**

509. **श्री आस मोहम्मद** : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम (एफ०सी०आई०) खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार का निर्यात करने का विचार रखता है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में और इनका निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ;

(ग) इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की जायेगी ; और

(घ) बढ़ते हुए मल्यों को कम करने के लिए खाद्यान्नों के अतिरिक्त भंडार को देश के भीतर ही खुले बाजार में सप्लाई न करने के क्या कारण हैं ?

**खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय)** : (क) से (ग) सरकार ने न्यूनतम निर्यात मूल्य सम्बन्धी किसी प्रतिबंध के बिना खुले बाजार से 1994-95 के दौरान गैर-डयूटी गेहूं का निर्यात करने के लिए 5 लाख मीटरी टन की मात्रा सीमा निर्धारित की है । भारतीय खाद्य निगम को भी 5 लाख मीटरी टन की सीमा के अन्दर अपने स्टाक से गैर-डयूटी गेहूं निर्यात करने के लिए प्राधिकृत किया गया है बशर्ते कि निर्यात मूल्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत गेहूं के केन्द्रीय निर्गम मूल्य से कम न हो । तथापि, भारतीय खाद्य निगम ने अब तक केन्द्रीय पूल से गेहूं की कोई